

न्यायालय श्री पुरुषोत्तम शर्मा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय),
जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 17/2011 (आरसीएमएस संख्या : 2011/00015)
सरकार जरिये तहसीलदार, फागी, जिला-जयपुर।

प्रार्थी,

वनाम
रतन देवी पत्नी राजकुमार खण्डेलवाल, निवासी-सी-397, मालवीय नगर, जयपुर।
अप्रार्थी,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955)

उपरिस्थिति :-

1. पेरोकार सरकार।
2. अप्रार्थीया बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपरिस्थित। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 18.09.2019

तहसीलदार, फागी द्वारा निवेदन किया गया है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमावंदी) सम्वत् 2011-2030 में ग्राम चांदावास की आराजी खसरा नम्बर 65 रकबा 02 बीघा 3 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर-मुमकिन तलाई/आबादी 2 बीघा व गैर-मुमकिन आबादी 3 बिस्वा दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 65 रकबा 02 बीघा 3 बिस्वा श्रीनारायण पुत्र धन्नालाल, जाति-नाई के हक में दिनांक 06.03.1978 को आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या-84 श्रीनारायण के नाम दर्ज होकर गैर-खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण सं0-155 स्वीकार किये जाने और विक्रय के फलस्वरूप अप्रार्थीया रतन देवी की खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2065-2068 अनुसार दर्ज हैं। भू-प्रबन्ध सम्वत् 2011-2030 में दर्ज गैर-मुमकीन तलाई/आबादी आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। अतः विवादग्रस्त आराजी को सिवायचक बिला लगानी गैर-मुमकीन तलाई/आबादी दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।




विद्वान् पेशेकार सरकार का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011-2030 में ग्राम चांदावास की आराजी खसरा नम्बर 65 रकवा 02 वीधा 3 विस्वा सिवायचक विला लगानी किरम जमीन गैर-मुमकिन तलाई/आबादी दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 65 रकवा 02 वीधा 3 विस्वा श्रीनारायण पुत्र श्री धन्नालाल, कौम-नाई के हक में आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या-84 श्रीनारायण के नाम दर्ज गैर-खातेदारी होकर नामान्तरकरण सं०-155 द्वारा आवंटी को खातेदारी दी गई हैं। खातेदार द्वारा आराजी को विक्रय कर दिये जाने के कारण क्रेता अप्रार्थीया रतन देवी की खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2065-2068 अनुसार दर्ज हैं। भू-प्रबन्ध सम्वत् 2011-2030 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.वी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी ख०न० 65 रकवा 02 वीधा 3 विस्वा ग्राम चांदावास श्रीनारायण पुत्र श्री धन्नालाल, कौम-नाई को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 06.03.1978 को आवंटन किया गया हैं। जिसका इन्द्राज नामान्तरकरण सं०-84 के कॉलम सं०-14 पर है, नियमों के विपरीत अवैध रूप से आवंटित की गई है। जबकि विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011-2030 में यह आराजी गैर-मुमकिन तलाई/आबादी दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होंगे। आवंटन दिनांक 06.03.1978 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि के आवंटन हेतु राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 राज्य सरकार द्वारा बनाये गये है और ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रभावशील हुए है। आवंटन नियम 1970 के नियम 4 में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गैर-मुमकिन तलाई/आबादी की आराजी को दिनांक 06.03.1978 को श्रीनारायण पुत्र धन्नालाल, जाति-नाई को आवंटन किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध आवंटन के पश्चात् आवंटी के हक में राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज और



पश्चातवर्ती प्रारंभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में आवंटन एवं आवंटन के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलेखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध में समय सीमा याचित नहीं है। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।


हमने परोकार सरकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011-2030 ग्राम चांदावास की आराजी खसरा नम्बर 65 रकबा 02 बिस्वा 3 बिस्वा सिवायचक विला लगानी किस्म जमीन गैर-मुमकिन तलाई/आबादी दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 65 रकबा 02 बीधा 3 बिस्वा श्रीनारायण पुत्र श्री धन्नालाल, कौम-नाई के हक में आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या-84 श्रीनारायण के नाम दर्ज होकर खातेदारी का नामान्तरकरण सं0-155 स्वीकार हुआ है। खातेदार द्वारा विक्रय किये जाने के फलस्वरूप अप्रार्थीया रतन देवी के नाम नामान्तरकरण संख्या 284 स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2065-2068 में अप्रार्थीया रतन देवी का नाम दर्ज है। भू-प्रबन्ध सम्वत् 2011-2030 में दर्ज गैर-मुमकिन तलाई/आबादी आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। वरवक्त बहस विद्वान् परोकार सरकार ने विवादग्रस्त आराजी को आवंटन दिनांक 06.03.1978 को राजस्व अभिलेख में गैर-मुमकिन तलाई/आबादी दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2011-2030 से होती है और इस आराजी का आवंटन श्रीनारायण पुत्र धन्नालाल, जाति-नाई को दिनांक 06.03.1978 को किया गया है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तरकरण सं0-84 ग्राम-चांदावास से होती है। गैर-खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या-84 व खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या-155 स्वीकार किया गया है और वादग्रस्त आराजी को विक्रय किये जाने के फलस्वरूप क्रेता रतन देवी के नाम नामान्तरकरण संख्या-284 स्वीकार किया गया है। विवादग्रस्त आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2065-2068 में निजी खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार बिला



लगानी सिवायचक गैर-मुमकीन तलाई/आबादी की भूमि की निजी खातेदारी किसी को नहीं दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर-मुमकीन तलाई/आबादी भूमि का आवंटन कर खातेदारी दी गई है, जो प्रारम्भ से शून्य है और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण में एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वतः ही अवैध हो जाती है। नियमानुसार गैर-मुमकिन तलाई/आबादी भूमि का आवंटन/नियमन/खातेदारी नहीं दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत खातेदारी दी गई है/ली गई है जो प्रारम्भ से शून्य है। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थीया को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ है तो यह प्रभाव शून्य है। शून्य आधारित आदेश के विरुद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.वी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, फागी द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में दिनांक 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं है। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी ख0न0 65 रकबा 02 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम-चांदावास आवंटन दिनांक 06.03.1978 बहक श्रीनारायण पुत्र धन्नालाल, जाति-नाई को निरस्त करने एवं इस आवंटन के फलस्वरूप आवंटी के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं निजी खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस सिवायचक गैर-मुमकीन तलाई/आबादी दर्ज करने की राय से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकार को दिनांक 13.11.2019 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 18.09.2019 को सुनाया गया।




(पुरुषोत्तम शर्मा)
कलेक्टर (द्वितीय)
जयपुर